इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 15, शक 1938

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पंपों का ऊर्जीकरण) योजना नियम, 2016

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-12-22-2016-4-पच्चीस.—राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम-विस्तार एवं प्रारंभ—

1.1 यह नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पंपों का ऊर्जीकरण) योजना नियम कहे जायेंगे.

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. योजना का उद्देश्य.—अनुसूचित जाति बस्तियों में मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित अधोसंरचना विकास पर्याप्त नहीं हुआ है. वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल 1.13 करोड़ है. जो कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में समुचित पेयजल प्रकाश/विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें/नालियों, मुख्य सड़कें, ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटों, सामाजिक कार्यक्रम/समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों का आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है.

राज्य आयोजना.—अनुसूचित जाति उपयोजना मद अंतर्गत तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होने वाली राशि के बाद भी विभिन्न अनुसूचित जाति बस्तियों में अधोसंरचनात्मक विकास कार्य की आवश्यकता बनी रहती है.

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु तथा गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार आदि हेतु पर्याप्त धनराशि स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध नहीं रहती.

अत: राज्य शासन के द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों तथा नगरीय अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास तथा इन ग्रामों/बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं संबंधी आवश्यताओं की पूर्ति एवं सौ से कम अनुसूचित जाति की आबादी वाले अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों/पारे/मजरे/टोलों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन का विस्तार (पंपों का उर्जीकरण) के कार्य भी किये जायेंगे.

3. परिभाषायें:—

3.1 राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

3.2 अनुसूचित जाति से तात्पर्य ''परिशिष्ट-1'' में उल्लेखित जातियों से है जिन्हें भारत शासन द्वारा राज्य के लिये अनुसूचित जातियां घोषित किया है.

3.3 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/बस्ती/वार्डों/मजरे/टोलों/पारों से है जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो अथवा जहां कम से कम अनुसूचित जातियों के 20 परिवार निवास करते हों.

3.4 नगरीय अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों में ऐसी बस्ती/कालोनी/वार्ड/मोहल्ले से है जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो अथवा जहां कम से कम अनुसूचित जाति के 20 परिवार निवासरत हों.

3.5 ''कलेक्टर/जिलाध्यक्ष'' से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

3.6 ''जिला पंचायत'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जिला पंचायत से है.

3.7 ''जनपद पंचायत'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जनपद पंचायत से है.

3.8 ''ग्राम पंचायत'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित ग्राम पंचायत से है.

3.9 ''स्थानीय निकाय'' (नगरीय क्षेत्र) से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 के तहत गठित नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत आदि स्थानीय निकायों से है.

3.10 इन नियमों के प्रयोजन के लिए विद्युत लाईन के विस्तार के लिए विभागीय शिक्षण संस्थाएं (छात्रावास एवं विद्यालय) अनुसूचित जाति बस्ती मान्य की जायेगी तथा वहां भी विद्युत लाईन का विस्तार कार्य किया जा सकेगा.

3.11 अनुसूचित जाति कृषक से तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार से है.

4. अनुसूचित जाति बस्तियों का चिन्हांकन एवं अनुसूचित जाति के कृषकों का चयन—

4.1 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति बस्तियों का चिन्हांकन निर्धारित संलग्न प्रारूप ''परिशिष्ट-2'' में किया जायेगा. अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के घटते अनुक्रम में सूची तैयार की जायेगी. यह सूची जिले के लिये अनिवार्य प्राथमिकता क्रम में होगी. उपलब्ध राशि से कार्य स्वीकृत करते समय सबसे अधिक प्रतिशत वाली बस्तियों में प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किये जायेंगे लेकिन किसी भी दशा में बिना शासन की अनुमति के 40 प्रतिशत से कम आबादी वाले ग्रामों में कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे. प्रत्येक जिले में तैयार बस्तियों की सूची का अनुमोदन राज्य शासन से कराया जायेगा. इसी सूची के आधार पर अनुसूचित जाति उपयोजना में भी कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे.

4.2 विभागीय अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास, आश्रम तथा अन्य आवासीय संस्थाओं को भी अनुसूचित जाति बस्तियों की मान्यता होगी.

4.3 जिला स्तर पर छोटी अनुसूचित जाति बसाहटों जिनकी आबादी 100 तक है, की सूची प्रतिवर्ष विभाग के जिला अधिकारी के कार्यालय में विकासखण्डवार उस वर्ग की जनसंख्या के घटते क्रम में अद्यतन की जायेगी तथा संधारित सूची का अनुमोदन कंडिका 4.5 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा.

4.4 गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कृषकों के आवेदन, उनके खेतों में सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन के विस्तार/पंपों के उर्जीकरण हेतु जिला स्तर पर प्राप्त किये जायेंगे, प्राप्त आवेदनों को प्रथम आवे प्रथम पावे क्रम में विकास खण्डवार सूची तैयार की जायेगी जिसका अनुमोदन कंडिका 4.5 में उल्लेखित समिति द्वारा किया जायेगा.

4.5 जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति होगी:—

कलेक्टर.	अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
विद्युत वितरण कंपनी के जिला स्तरीय अधिकारी (जी. एम./डी.जी.एम.)	सदस्य
सहायक आयुक्त/जिला संयोजक.	सदस्य सचिव

5. कार्ययोजना तैयार करना—

5.1 यह योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों एवं नगरीय अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के सुधार एवं विकास हेतु प्रचलित योजनाओं की अनुपूरक योजना होगी. अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास हेतु शासन के विभिन्न विकास विभागों को मांग संख्या-64 में विशेष घटक योजनांतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग पहले किया जायेगा तथा जहां राशि कम पड़ती है एवं विकास विभागों के मद में कोई प्रावधान न किया गया हो तभी इस योजनांतर्गत राशि का उपयोग किया जा सकेगा.

5.2 योजनांतर्गत यथा-संभव ऐसी योजना में राशि व्यय की जायेगी, जो वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण की जा सके.

5.3 नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में प्राथमिकता उन बस्तियों को दी जायेगी जहां ऐसे परिवार निवास करते हों जो पूर्व में अस्वच्छ धंधों से संबंधित व्यवसाय में कार्यरत रहे हों और अभी तक बस्ती विकास का कोई कार्य नहीं किया गया हो.

5.4 बस्तियों में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कार्य की वास्तविक लागत तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित होगी. किन्तु किसी भी दशा में कार्य की लागत रुपये 10.00 लाख से अधिक होती है तो इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास से प्राप्त की जायेगी.

5.5 उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधायें सर्वप्रथम उन अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों/मजरे/टोलों/पारों तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्डों/मोहल्ले/कालोनी में ली जावेगी जिनमें इन सुविधाओं को पूर्ण रूप से अभाव हो. उदाहरण के लिये, जिले की अनुसूचित जाति की बस्ती जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता क्रम में आती है किंतु वहां मूलभूत कार्य पहले से संपादित कर लिये गये हों तो, उसके बाद की प्राथमिकता की बस्ती का चयन करना होगा जहां मूलभूत कार्य किये न गये हों और उनकी आवश्यकता हो.

5.6 अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास में कम्पोजिट प्लान (समेकित कार्ययोजना) हेतु प्राथमिकता दी जावेगी. अर्थात् ऐसे कार्यक्रम/कार्ययोजना पहले ली जावेगी, जिससे किसी अनुसूचित जाति बस्ती/ग्राम के सम्पूर्ण विकास की योजना तैयार की गई है.

6. कार्यों का निर्धारण—इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर आंतरिक मार्ग (सी.सी. रोड) जल-मल निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण, सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था एवं छात्रावासों/आश्रमों में शौचालय व स्नान गृहों एवं अतिरिक्त कक्ष व बाउण्ड्री वाल का निर्माण, ग्राम के मुख्य मार्ग से अनुसूचित जाति बस्तियों को जोड़ने वाली सड़कों पर पुल/पुलिया/रपटों का निर्माण आदि कार्य लिये जा सकेंगे.

सौ से कम अनुसूचित जाति की आबादी वाले अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों/पारे/मजरे/टोलों में विद्युतीकरण कार्य भी लिए जायेंगे.

6.1 योजनांतर्गत प्राथमिकता क्रम में निम्नानुसार कार्य लिये जायेंगे—

क्र.	कार्य का नाम
1	आंतरिक सड़क/सी.सी. रोड का निर्माण (अनुसूचित जाति बस्ती/छात्रावास/आश्रम)
2	मुख्य सड़क से अनुसूचित जाति बस्तियों/विभागीय आवासीय संस्थाओं को जोड़ने वाली सड़क/पुलिया/रपटों का निर्माण
3	जल-मल निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण
4	छात्रावास आश्रमों में अतिरिक्त शौचालय स्नान गृह निर्माण
5	अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों में बाउण्ड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण
6	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प/नलकूप खनन सबमर्सिबल पम्प सहित (अनुसूचित जाति बस्ती/छात्रावासों आश्रमों में)/हैण्डपम्प के आसपास एरिया डेवलपमेन्ट.
7	सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले-आउट अनुसार)
8	सार्वजनिक चबुतरा निर्माण
9	अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण
10	अनुसूचित जाति कृषकों की सिंचाई हेतु पंपों का उर्जीकरण.

7. प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार:—

7.1 नियम 6.1 में उल्लेखित कार्यों हेतु वास्तविक लागत के आधार पर अधिकतम रुपये 10.00 लाख सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी. यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिकतम सीमा से अधिक राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता हो तो आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिले के कलेक्टर के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृति दी जा सकेगी.

7.2 विद्युतीकरण, पंपों के उर्जीकरण के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कंडिका 4.3 में उल्लेखित समिति के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के विकास कार्यों हेतु प्रदत्त अधिकारों की सीमा में जारी की जाएगी. प्रशासकीय स्वीकृति में विद्युत लाइन में कार्य पूर्ण होने के बाद संभावित कनेक्शन चार्ज की राशि कंपनी के डिमांड नोट के आधार पर शामिल की जाए.

8. तकनीकी स्वीकृति के अधिकार:—

8.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के तकनीकी स्वीकृति के अधिकार-डेलीगेशन ऑफ फायनेंशियल पावर वाल्यूम-2 के अनुसार होंगे.

8.2 हितग्राही चयन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य प्राक्कलन तैयार कर जिला अधिकारी द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों की सीमा में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी.

9. निर्माण कार्यों का निष्पादन:—

9.1 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच परमेश्वर योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तथा निर्माण विभागों के मेन्युअल में निर्धारित किया गया है.

9.2 बस्तियों में आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य होंगे. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के तहत् ग्रामों में तथा नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं के तहत् शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बस्तियों में निर्माण कार्य कराये जायेंगे. यदि इन विभागों से किसी भी तरह धनराशि प्राप्त न होने की संभावना हो तो इस मद की राशि से कार्य लिये जायेंगे.

9.3 निर्माण एजेन्सी का चयन कलेक्टर द्वारा कार्य की प्रकृति के आधार पर किया जायेगा तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी. राज्य शासन चाहे तो तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन करा सकता है.

9.4 कार्य संधारण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी.

9.5 विद्युतिकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यों का निष्पादन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनके नियमों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जायेगा.

10. आंवटन का प्रदाय:—

10.1 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु कार्य कराने हेतु प्रति वर्ष बजट में प्रावधानित राशि का 80 प्रतिशत आवंटन जिलों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान की शेष 20 प्रतिशत राशि शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगी जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणायें एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा.

10.2 निर्माण एजेन्सियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व "परिशिष्ट-3" प्रारूप में एक करार (अनुबंध) निष्पादित कराया जावेगा.

10.3 यदि किसी निर्माण एजेन्सी, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय ने उसे पूर्व में स्वीकृत राशि का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं किया है तो उसे आगामी वर्ष में नये कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी.

10.4 विद्युतीकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यों हेतु आवंटन का प्रदाय जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर कलेक्टर को किया जायेगा. विभागीय अधिकारी कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को उनके बैंक खाते में राशि अंतरित करेंगे.

11. कार्य पूर्णत: एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र:—

11.1 इस योजना के तहत अनुसूचित जाति बस्तियों के तहत स्वीकृत कार्यों की पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित निर्माण एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के प्रति हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जायेगा.

11.2 निर्माण कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण कराने आवश्यक होंगे जिस वर्ष में वे स्वीकृत किये गये हैं. विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्य पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेंगे किन्तु क़ार्य अवधि में वृद्धि करते समय निर्माण लागत बढ़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि कदापि स्वीकृत नहीं की जायेगी.

11.3 विद्युतीकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यों हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारत प्रपत्र में कंपनी के जी.एम./डी.जी.एम. द्वारा विभागीय जिला अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे. परीक्षण उपरांत कलेक्टर के प्रतिहस्ताक्षर से संबंधित विभागाध्यक्ष/महालेखाकार प्रेषित किये जायेंगे.

12. योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का लेखा:—

12.1 योजना के अंतर्गत वर्ष में स्वीकृत कार्यों का लेखा-जोखा रखने हेतु संलग्न "परिशिष्ट-4" के अनुसार पंजी का संधारण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय के अतिरिक्त संबंधित निर्माण एजेन्सी/स्थानीय निकाय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जायेगा.

12.2 विद्युतीकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यों हेतु स्वीकृत कार्यों का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विभागीय जिला अधिकारियों के कार्यालय एवं विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रतिवर्ष संधारित किया जायेगा.

13. योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यों का हस्तांतरण एवं रख-रखाव:—

13.1 इस योजना के अंतर्गत निर्मित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का हस्तांतरण संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/विभाग को करने का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा तथा संबंधित निकाय/विभाग योजनांतर्गत निर्मित किये जाने वाले कार्यों का रख-रखाव नियमानुसार करेंगे.

13.2 विद्युतीकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यों हेतु सम्पन्न कार्यों को संबंधित विद्युत कंपनी को सौंपा जायेगा तथा उसका रख-रखाव/संधारण संबंधित कंपनी द्वारा इस हेतु स्थापित नियमों के अनुसार किया जायेगा.

14. अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः—

14.1 अनुसूचित जाति विकास संचालनालय के अनुसंधान/मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर योजना का मूल्यांकन किया जावेगा.

15. निरसन-एतदद्द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम-2014 एवं इस नियम के संबंध में समय-समय पर जारी संशोधन संबंधी समस्त आदेश तत्कालप्रभाव से निरस्त किए जाते है. जो कार्य नियम 2014 के अधीन प्रारंभ किए गए थे उन्हें उसी नियमों के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा.

आशकृत तिवारी, उपसचिव.

परिशिष्ट—1

अनुसूचित जातियों की सूची

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बहना बहाना,
4. बलाही, बलाई
5. बांछड़ा
6. बरहर, बसोड़
7. बरगुन्डा
8. बसोर, बुरूड़, बंसोर, बांसोडी, बांसफोद, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेतर, वाल्मीक, लालबेगी, धरकार
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बैरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगर, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्ज्यावंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमारमोंगन, रैदास.
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहाइत, दहायतं, दाहत
19. देवर
20. धानुक
21. धेड़, धेड
22. धोबी, (भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिले में)
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमार, डोरिस
25. गांडा, गांडी
26. घासी, घसिया
27. होलिया

28. कंजर
29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिण्ड, धार, देवास, गुना ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिले में).
33. खंगार, कनेरा, मिरधा
34. कुचबंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गरोडी, मांग गारूडी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारूडी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोधिया
40. मुसखान
41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिले में).
43. पासी
44. रुज्झर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमरोल

परिशिष्ट-2

अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती की प्राथमिकता सूची

जिले का नाम . . . . . .

ग्रामीण क्षेत्र

क्र.	ग्राम का नाम/ बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	बस्ती ग्राम में अनु. जाति के परिवारों की संख्या	अनु. जाति की आबादी का प्रतिशत	रिमार्क (बस्ती में पूर्व से सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती की प्राथमिकता सूची

जिले का नाम . . . . . .

शहरी क्षेत्र

क्र.	मोहल्ले का नाम	नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	मोहल्ले में अनु. जाति के परिवारों की संख्या	मोहल्ले में अनु. जाति की आबादी का प्रतिशत	रिमार्क (बस्ती में पूर्व से सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिशिष्ट-3

(नियम 10.2 देखिये)

अनुबंध-पत्र

1. यह अनुबंध आज दिनांक .....को म. प्र. शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाध्यक्ष ..... और .....ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नोटोफाईल एरिया कमेटी/नगर निगम .....तहसील ..... के मध्य किया जाता है.

2. राज्य शासन की ओर से जिलाध्यक्ष .....द्वारा उनके कार्यालयीन आदेश क्रमांक .....दिनांक ..... के द्वारा प्राप्तकर्ता को .....कार्य की कुल अनुमानित लागत के निर्माण हेतु रुपये .....(अक्षरों में .....) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राशि रुपये .....प्राप्तकर्ता को उक्त निर्माण कार्य पर व्यय करने के लिये अग्रिम रूप से देना स्वीकार किया है और प्राप्तिकर्ता उक्त धनराशि को उपयुक्त आशय हेतु निम्न अनुबंधों एवं प्रतिबंधों पर लेने के लिये सहमत है.

3. (अ) प्राप्तिकर्ता जिलाध्यक्ष ..... के संदर्भित आदेश पत्र में दर्शाये स्थान पर .....का निर्माण कार्य जिलाध्यक्ष ..... द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन एवं मानचित्र तथा प्रशासकीय स्वीकृति के अंतर्गत और आधार पर एवं समय-सीमा में करेगा.

(ब) प्राप्तिकर्ता, प्रदानकर्ता द्वारा स्वीकृति डिजाईन एवं विस्तृत विवरण में कोई संशोधन एवं परिवर्तन बिना प्रदानकर्ता की स्वीकृति के नहीं करेगा और प्राप्त राशि का उपयोग मानचित्र में दर्शाये कार्यों के निर्माण हेतु करेगा.

4. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य राशि प्राप्त होने में 6 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा. यदि इस अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटाई जावेगी.

5. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जावेगा तथा मूल्यांकन के मान से निर्माण कार्य यदि कम राशि का हुआ तो शेष राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्राप्तिकर्ता प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटायेगा.

6. यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि या उसकी आंशिक राशि का कोई दुरुपयोग पाया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदानकर्ता की ऐसी राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज के एक माह के भीतर लौटाई जायेगी.

7. प्राप्तिकर्ता उक्त निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली हानि एवं क्षति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा ऐसी परिस्थिति में होने वाला अतिरिक्त व्यय प्राप्तिकर्ता के द्वारा वहन किया जायेगा.

8. निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रदानकर्ता तथा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी या मंत्रियों द्वारा किया जा सकेगा. यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पूर्ति की जानी होगी.

9. प्राप्तिकर्ता उपरोक्त निर्माण कार्य को लेख पृथक तथा नियमानुसार रखेगा तथा उपरोक्त निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रतिवेदन मासिक रूप से प्रतिमाह तारीख 10 तक प्रदानकर्ता को प्रेषित करेगा.

10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरंत पश्चात् एक माह के भीतर प्राप्तिकर्ता कार्य का लेखा जोखा, मूल्यांकन प्रमाण-पत्र पूर्णतः प्रमाण-पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदानकर्ता को प्रस्तुत करेगा.

11. प्राप्तिकर्ता के हिसाब, लेखा-जोखा की जांच जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी संचालनालय कोष एवं लेखा/महालेखाकार, मध्यप्रदेश, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के ऑडिट दल द्वारा की जा सकेगी.

12. यदि अनुबंध में या इसमें अन्तःदृष्टि किन्हीं भी उपबंधों या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में इसमें संबंधित पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास की मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया जावेगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा.

13. प्राप्तिकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत हस्तांतरण प्राप्त किया जावेगा तथा प्राप्ति रसीद प्रदानकर्ता को दी जावेगी तथा उक्त निर्मित कार्य का भली भांति रख-रखाव संरक्षण तथा यदि कोई विस्तार आवश्यक हुआ तो स्वतः अपने स्त्रोतों से किया जावेगा.

14. यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर दिनांक से लेकर जब तक उपरोक्त कार्य शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं होता तथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके पूर्ण निपटारा होने तक प्रभावशील होगा.

15. इस लिखान का देय मुद्रा/पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा.

16. इसके साक्ष्य स्वरूप इनसे संबंधित पत्रों में अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी तारीख और वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं:—

साक्षीगण

1. . . . . .

2. . . . . .

3. . . . . .

4. . . . . .

(नियम 12.1)

परिशिष्ट—4

अनुसूचित जाति बस्ती सघन विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की पंजी

जिला स्तर पर रखी जाने वाली पंजी

जिला . . . . . .स्वीकृत वर्ष . . . . . .

क्र. (1)	कार्य का नाम (2)	स्थान/मोहल्ला पारा (3)	ग्राम/नगर (4)	वि. ख. (5)	तहसील (6)

प्राक्कलन की राशि (7)	स्वीकृत राशि (8)	जिला कार्यालय का स्वीकृत आदेश क्र. दिनांक (9)	कार्य करने वाली संस्था/एजेन्सी (10)

कार्य प्रारंभ होने की तिथि (11)	कार्य पूर्ण करने की तिथि (12)	कार्य पर हुए व्यय की राशि (13)	कार्य के मूल्यांकन की राशि (14)

राशि	महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण-पत्र भेजने का पत्र क्र./दि. एवं राशि		महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण-पत्र भेजने का पत्र क्र./दि. एवं राशि	
	प.क्र.	दिनांक	पत्र क्र./दिनांक	राशि
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

यदि राशि अवशेष रही हो तो उस ट्रेजरी में रिफंड करने की		कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किस संस्था को सौंपा गया राशि	हस्तातरण ग्रहिता का	
चालान क्र.	दिनांक		नाम	पदानाम
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर की तिथि	रिमार्क
(25)	(26)	(27)

(प्रत्येक कार्य के लिए अलग पन्ना रखा जावें)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.